न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16/2023 **दायर दिनांकः 10.04.2023**

उनवान

1. सरोज देवी आयु 56 वर्ष पत्नी हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी देवलीरावान तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.05.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल रीछन्दा पटवार हल्का रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 244 का ख.नं. 1228 का रकबा 0.08 हे० गै.मु.खड्डा, ख.नं. 1229 का रकबा 1.35 हे0, ख.नं. 1230 का रकबा 1.56 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.99 हेक्टर आराजी प्रार्थिया के अन्य सहखातेदारान साथ के दर्ज खाता स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का हिस्सा 1/24 दर्ज है। नवीन नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थिया को घर पर समजकुंवर कहने के कारण प्रार्थिया का नाम समजकुंवर बाई गलत दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थिया का सही नाम सरोज देवी है। प्रार्थिया के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत रीछन्दा के प्रमाण पत्र में प्रार्थिया का नाम सरोज देवी सही दर्ज है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम समजकुंवरबाई के स्थान पर सही नाम सरोज देवी दर्ज करवाया जाना सम्भव नही है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम सरोज देवी सही दर्ज नही किया गया तो प्रार्थिया को अपरिमित

क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पड़ेगा। अस्तु प्रार्थिया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम समजकुंवरबाई के स्थान पर सही नाम सरोज देवी दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल०आर०एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करती है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम समजकुंवरबाई के स्थान पर सही नाम सरोज देवी दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। साक्ष्य प्रार्थीया के तहत शपथ पत्र Pw-1 सरोज देवी पत्नी हुकमचन्द जाति राजपूत निवासी देवलीरावान, Pw-2 सोनू बाई पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी देवलीरावान के शपथ पत्र पेश किए गए तथा सशपथ बयान लेखबद्व किये गये।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3766 दिनांक 20.12.2024 को शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रीछन्दा में स्थित आराजी खाता संख्या 244 का ख0नं0 1228 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 1229 का रकबा 1.35 है0 तथा खसरा नं0 1230 का रकबा 1.56 है0 में भैरूलाल, पुष्पदयाल, गुड्डू पुत्र फूला बाई बेवा श्रीकिशन द्वारा अपने हिस्से की आराजी का बेचान जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा सोनू बाई पत्नी उम्मेदसिंह, उमा बाई पत्नी शम्भू सिंह, चन्द्रकला पत्नी जगदीश सिंह व समझ कुंवर बाई पत्नी हुकमसिंह को किया गया था। अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल रीछन्दा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 244, आधार कार्ड सरोज देवी, मतदाता पहचान पत्र सरोज देवी, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, ग्राम पंचायत रीछन्दा प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाह व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार समझकुंवर बाई पत्नी हुकमसिंह का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रार्थिया ने उक्त विक्रय पत्र भी न्यायालय में पेश नही किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्य प्रार्थीया तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल रीछन्दा पटवार हल्का रीछन्दा तहसील अटरू जिला बारां (राज०) की आराजी खाता संख्या 244 का ख.नं. 1228 का रकबा 0.08 हे०, ख.नं. 1229 का रकबा 1.35 हे0, ख.नं. 1230 का रकबा 1.56 हे0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.99 हेक्टर आराजी में सह खातेदार समजकुंवरबाई पत्नी हुकमसिंह के स्थान पर सरोज देवी किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट खारिज फरमाया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां